

प्रेषक,

गिरजा शंकर त्रिवेदी,
उप सचिव
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
झाँसी/अम्बेडकर नगर/
मुजफ्फर नगर/हरदोई/
संत कबीर नगर/जौनपुर/
फर्रुखाबाद/बिजनौर/आजमगढ़/
देवरिया/मऊ एवं उन्नाव।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9


लखनऊ : दिनांक 8 सितम्बर,2010

विषय- विधान मण्डल के दोनों सदनों के मा० सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास कार्यों हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-577/38-9-10-2बजट/09 दिनांक 14-5-10 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा समस्त जनपदों के विधान मण्डल के दोनों सदनों के 503 मा० सदस्यों के पक्ष में प्रति सदस्य रू०-125.00 लाख की दर से कुल धनराशि रू०-62875.00 लाख स्वीकृत की गई है।


2- उक्त शासनादेश के संलग्नक "ब" की सूची के क्रमांक-1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 व 35 पर उल्लिखित मा० विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल दिनांक 06 जुलाई, 2010 को समाप्त हो गया है एवं आयुक्त ग्राम्य विकास के पत्र संख्या- 1012/कार्य०/अनु०/ वि०नि०/ 2010 दिनांक 30-08-2010 द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त मा० सदस्यों के पक्ष में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कुल रू०-804.613 लाख की धनराशि अव्ययित है। इसके अतिरिक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित मा० सदस्य सुश्री सीमा रिजवी जिनका स्वर्गवास हो जाने के कारण धनराशि अवमुक्त नहीं की गई थी के सापेक्ष नये मा० सदस्य का निर्वाचन हो जाने के फलस्वरूप उक्त धनराशि रू० 125.00 लाख को भी अव्ययित धनराशि में सम्मिलित कर लिया गया है। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अव्ययित धनराशि को विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्ग-दर्शी सिद्धान्त के प्रस्तर-3.10 'अ' की व्यवस्था के अनुसार बराबर-बराबर वितरित की जा रही है, जो निम्न तालिका में अंकित विवरण के अनुसार नव निर्वाचित मा० सदस्यों के द्वारा व्यय की जायेगी :-


08/09/10

क्रमांक	विधान परिषद सदस्य का नाम (सर्व श्री)	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	नोडल जनपद का नाम	अवमुक्त धनराशि (लाख रू० में)
1	सुश्री मायावती	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	झाँसी	71.50
2	अतहर खॉ	तदैव	अम्बेडकर नगर	71.50
3	ऋषिपाल	तदैव	मुजफ्फर नगर	71.50
4	राम कुमार कुरील	तदैव	हरदोई	71.50
5	लाल चन्द्र	तदैव	संत कबीर नगर	71.50
6	विरेन्द्र कुमार	तदैव	जौनपुर	71.50
7	सतीश चन्द्र	तदैव	फर्रुखाबाद	71.50
8	सुबोध कुमार	तदैव	बिजनौर	71.50
9	बलराम	तदैव	आजमगढ़	71.50
10	राम सुन्दर	तदैव	देवरिया	71.50
11	यशवन्त	तदैव	मऊ	71.50
12	हृदय नारायण दीक्षित	तदैव	उन्नाव	71.50
13	नसीब पठान खॉ	तदैव	बिजनौर	71.50

3- उक्त शासनादेश संख्या-577/38-9-10-2बजट/09 दिनांक 14-5-10 में उल्लिखित शर्तें /व्यवस्था यथावत रहेगी।

4- तदनुसार उक्त शासनादेश दिनांक 14.5.2010 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।


 (गिरजा शंकर त्रिवेदी)
 उप सचिव


संख्या- 1166 (1)/अडतीस-9-2010 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) 1 एवं 2 उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) 1 एवं 2 उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग।
4. प्रमुख सचिव, विधान सभा/ विधान परिषद।
5. निजी सचिव, मा० अध्यक्ष विधान सभा।

6. निजी सचिव, मा0 सभापति विधान परिषद।
7. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए इस निर्देश की प्रतियां समस्त संबंधितों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. अपर आयुक्त (लेखा), उत्तर प्रदेश लखनऊ।
9. समस्त संयुक्त / उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
10. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
11. समस्त कोषाधिकारी।
12. समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
13. वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
14. ग्राम्य विकास अनुभाग-3
15. नियोजन अनुभाग-3
16. गार्ड बुक।

आज्ञा से


08/09/10
(गिरजा शंकर त्रिवेदी)
उप सचिव।